

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत, जिला अल्मोडा।
प्रकीर्ण फौ0 वा0 सं0— 36/2022
सरकार बनाम रमेश राम

17.01.2023: वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित है। प्रार्थना पत्र राजस्व उपनिरीक्षक चौकुनी द्वारा मूल प्रपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नियत है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा मूल प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं है। न्यायहित में आज की तिथि मुल्तबी की जाती है।

पत्रावली दिनांक 23.01.2023 राजस्व उपनिरीक्षक चौकुनी द्वारा मूल प्रपत्र पेश करने/अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।

(शिवानी नाहर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत।